**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 1696**

**उत्तर देने की तारीखः 27.12.2018**

**विदेशी विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट डिग्री धारकों की सीधी भर्ती के लिए पात्रता**

**1696. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि शीर्ष 500 विदेशी विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले अब भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नए भर्ती मापदण्डों के अनुसार, विश्वविद्यालय की शीर्ष 500 रैंकिंग को चार प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली से संदर्भित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुसार निम्नलिखितः (i) कुआक्कुआरेल्ली सिमेंड्स (क्यूएस) (ii) द टाईम्स हायर एजूकेशन (टीएचई) या (iii) शंघाई जियाओं तांग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के वैश्विक विश्वविद्यालयों की शैक्षिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यूयू) में से किसी एक के द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष 500 में रैंकिंग (किसी भी समय) के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से पीएच.डी डिग्री धारक व्यक्ति विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए पात्र हैं। उपरोक्त विनियम यूजीसी वेबसाइट <https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4033931_UGC-Regulation_min_Qualification_Jul2018.pdf>. पर उपलब्ध हैं।

\*\*\*\*\*